मातृ स्वास्थ्य सेवाओं पर हमारे अनुभवः महिला स्वास्थ्य अधिकार मंच

उत्तर प्रदेश में मातृ स्वास्थ्य की स्थिति

उत्तर प्रदेश देश का वह राज्य है जहाँ आज के दिन सबसे अधिक मातृ मृत्यु होती है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में हर साल लगभग 28 से 30 हज़ार महिलाओं की मातृत्व के कारणों से मौत हो रही हैं। वर्तमान में प्रदेश सरकार काफी सक्रियता से मातृ स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतरीकरण के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन कुछ अनियमितताओं की वज़ह से प्रयास पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पा रहे हैं।

महिला स्वास्थ्य अधिकार मंच का परिचय

यह उत्तर प्रदेश के 12 जिलों की 8000 ग्रामीण, दलित, मुस्लिम, आदिवासी नेतृत्वकारी महिलाओं का मंच है। यह मंच 2006 से प्रदेश में मातृ स्वास्थ्य की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत है। यह मंच अपने–अपने ज़िले में स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी करती है, लोगों को चल रही योजनाओं की जानकारी देती है, लोगों को सेवायें लेने के लिए प्रेरित करती है, सेवा न मिलने पर अधिकार की मांग करती है। इसके साथ ही यह मंच अपने क्षेत्र में हुई ऐसी घटना की पहचान करती है जहाँ मृत्यु हुई, लापरवाही रही या पैसे की मांग हुई अथवा सेवाएँ नहीं मिली। साथ ही उसके घटनाक्रम का विश्लेषण कर विभिन्न मंचों पर ऐसी घटनाओं को रोकने हेतु पैरोकारी भी कर रही है। दूसरे गावों की महिलाओं के अनुभवों को सुनकर मंच की महिलाओं ने अपने कुछ निम्नलिखित विचारों को रखा और कुछ सुझाव भी दिये।

मंच की महिलाओं के अनुभव 2009

अस्पतालों में सेवा कर्मियों के व्यवहार व संवेदनशीलता को लेकर शान्ति देवी ने कहा कि, **"अस्पताल वालों के बुरे व्यवहार और गुस्से के कारण कोई सरकारी अस्पताल में नहीं जाना चाहता है, लोग घर पर ही प्रसव कराते है।"** उन्होंने कहा कि **"त्यौहार के दिन भी सरकारी अस्पताल में डॉक्टर और नर्स को रहना चाहिए, ताकि किसी को भर्ती करने में कोई परेशानी न हो।"** **इसी से जोड़ते हुए तपेसरा देवी** ने अपना अनुभव रखते हुए कहा, **"अस्पताल में लोग जिन्दगी नहीं देख रहें है, त्यौहार देख रहें है।"** इस तरह के अनुभव कई अन्य ज़िलों की महिलाओं के निकले। इसमें एक अन्य महिला ने जोड़ते हुए कहा कि **अस्पतालों में नर्स, सर्जन और महिला डाक्टर हर समय उपस्थित होने चाहिए ताकि गर्भवती महिलाओं को सभी स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके।''** एक अन्य महिला ने कहा **''ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए संगठन का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है क्योकिं जब कम लोग अन्याय के खिलाफ बोलते हैं तो उन्हें भगा दिया जाता है, लोग ज्यादा रहेंगें तो हम दबाव बना पायेगें।''**

अस्पताल में महिलाओं को भर्ती करने में होने वाली समस्या पर बोलते हुए गुलाबी देवी ने कहा कि ''**यदि बच्चा होने में कुछ घन्टे बचे रहें, महिला अस्पताल पहुंच जाय तो गर्भवती को अस्पताल से नहीं लौटाना चाहिए बल्कि उसे भर्ती कर लेना चाहिए। लौटाने के कारण ही रास्ते में बच्चा पैदा हो जाता है। अक्सर महिला को यह कहकर लौटा दिया जाता है कि अभी बच्चा होने में देरी है।''** इसी में जोड़ते हुए सोमारी देवी ने कहा **''ऐसा कोई नियम होना चाहिए कि अस्पताल में प्रसव के लिए आई कोई गर्भवती महिला को अस्पताल से वापस लौटाया न जाए, अगर उस अस्पताल में प्रसव नहीं हो सकता तो उसे बड़े अस्पताल के लिए रेफर किया जाय, और साथ में अस्पताल का कोई व्यक्ति ज़रूर जायें।''**

अस्पताल तक महिला को ले जाने में साधन उपलब्ध न होने से होने वाली परेशानी पर बोलते हुए केशरा देवी ने कहा कि **''साधन के न मिलने की वज़ह से बहुत परेशानी झेलनी पड़ती हैं, सबका हाथ–पैर जोड़ना पड़ता है। साधन खोजते–खोजते काफी समय चला जाता है। अस्पताल जाने के लिए गांव में ही कुछ गाड़ी की व्यवस्था होनी चाहिए, कम से कम उन गॉवों में जहाँ से अस्पताल बहुत दूर हो।** इसी पर अपना अनुभव जोड़ते हुए चम्पा ने कहा **कि ''अस्पताल जाने के लिए अगर साधन हो तो बेवजह की भागदौड़ नही करनी पडती।''**

भ्रष्टाचार और अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवा लेने में होने वाले खर्च पर गुजराती देवी ने अपना अनुभव रखते हुए कहा **कि ''अस्पतालों में जिन्दगी नहीं पैसा देखते हैं। कोई ऐसा कड़ा नियम होना चाहिए कि सरकारी अस्पतालों में कोई गरीबों से पैसा न ऐंठ पाये।''** अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं लेते समय होने वाले बुरे व्यवहार पर रामा देवी ने कहा कि **''अस्पताल वालों का व्यवहार बदलना चाहिए, वरना कौन उनके पास गाली सुनने जायेगा।'** कुछ महिलाएं नाराज़ होते हुए बोली कि **''लोग कहते है कि सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क और अच्छी व्यवस्था हैं, भगवान जाने क्या अच्छी व्यवस्था हैं समझ में नही आता है।**

सविता देवी और ललिता देवी ने अस्पताल में महिलाओं को जॉच कराने में होने वाली परेशानी पर कहा कि **''हर अस्पताल में सभी आवश्यक जॉच की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि गर्भवती महिला को ज़रूरत पड़ने पर यहां वहां न दौड़ना पड़े।''** सुरसती, इन्द्रदेई और देवाती ने कहा कि **''सरकारी अस्पतालों में हो रही अनदेखी और लापरवाही को लेकर सरकार पर दबाव बनाना चाहिए ताकि बुरा करने वाले डरें।'' इसी पर जोड़ते हुए** बीना ने कहा कि **'अस्पतालों में उजाले की व्यवस्था के साथ–साथ बिस्तर भी साफ देना चाहिए। उसने आगे जोड़ते हुए कहा कि नर्स को चाहिए भर्ती होने वाली महिलाओं की पूरी देखभाल करे।''** कुछ महिलाओं ने कहा कि **''अस्पताल में बच्चे और महिला की सफाई के लिए दाई या कोई अन्य व्यक्ति रहना चाहिए क्योंकि परिवार वाले ठीक से नहीं कर पाते।''**

अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवा लेते समय होने वाली परेशानी पर बात करते हुए सुभागी देवी ने कहा कि **''अगर गांव में ही एक प्रशिक्षित दाई हो तो महिलाओं को इतनी परेशानियों का सामना ही न करना पड़ेगा।''**

अन्य जानकारी हेतु सम्पर्क–

महिला स्वास्थ्य अधिकार मंच

सचिवालय

ए–240, इंदिरानगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश

फोन– 0522–2310860 / 2341319 ईमेल–kritirc@sahayogindia.org www.sahayogindia.org

माननीय स्वास्थ्य मंत्री को मांग– पत्र

31 अगस्त, 2009

हम उत्तर प्रदेश की 8,000 महिलायें, **महिला स्वास्थ्य अधिकार मंच** की सदस्य हैं और पिछले 4 सालों से प्रदेश में मातृ स्वास्थ्य की बेहतर स्थिति के लिए प्रयासरत हैं। **हम उत्तर प्रदेश में मातृ स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारने हेतु सरकार द्वारा किये गये प्रयासों की सराहना करते हैं और प्रदेश में मातृ मृत्यु की दर में आ रही कमी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को बधाई देते हैं।** वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार स्थिति को सुधारने के लिए बहुत सक्रिय है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी अनियमिततायें हैं जिन्हें दूर करना बहुत आवश्यक है। हम महिलाओं को अपने क्षेत्र में कई ऐसे अनुभव हो रहे हैं जो मातृ स्वास्थ्य की ख़राब स्थिति के लिए ज़िम्मेदार हैं अतः हम इन अनुभवों के आधार पर आपसे मांग करते हैं किः

घरेलू प्रसव को सुरक्षित बनाने के लिए

1. हर गांव में एक प्रशिक्षित दाई की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि प्रसव का कोई निश्चित समय नहीं होता है। रात को ए0एन0एम0 या आशा तो आती नहीं है और अस्पताल ले जाने के लिए साधन खोजने में देर हो जाती है।
2. घरेलू प्रसव के लिए दी जाने वाली राशि बहुत कम है एवं घर में प्रसव कराने वाली महिलाओं के साथ यह एक भेदभाव है। अतः घरेलू प्रसव के लिए दी जाने वाली राशि बढ़ायी जाय साथ ही इसके लिए निर्धारित मानकों को हटाया जाय। 9 ज़िलों में किये गये एक अध्ययन के अनुसार कुल 329 महिलाओं में से सिर्फ 13 महिलाओं को ही मातृत्व लाभ योजना का पैसा मिला।

अस्पतालों में सुरक्षित प्रसव के लिए

1. प्रसव के समय महिला को अस्पताल ले जाने के लिए साधन की व्यवस्था सरकार द्वारा ही दी जाय। चाहे घर से अस्पताल जाना हो अथवा एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में रेफर करना हो।
2. एन.आर.एच.एम. के तहत आशा को दिया जाने वाला यातायात खर्च सीधे परिवार के लोगों को ही दिया जाय।
3. जिन महिलाओं को प्रसव पीड़ा शुरू हो गयी है, उनके अस्पताल पहुंचने पर उन्हें भर्ती कर लिया जाय। ज़रूरत के अनुसार अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ायी जाय। यदि महिला का प्रसव अस्पताल आते समय रास्ते में हो गया है तो उसकी देखभाल की पूरी जिम्मेदारी सम्बन्धित अस्पताल की होनी चाहिए, और दी जाने वाली सभी सुविधायें भी उस महिला को मुहैया कराई जाय।

दस्तावेज़ीकरण को और मज़बूत करने के लिए

1. हर महिला को दिये जाने वाले जच्चा–बच्चा कार्ड पर सीरियल नम्बर छपा हो। महिला की गर्भावस्था का पंजीकरण होते ही कार्ड की संख्या पंजीकरण रजिस्टर में अंकित हो जानी चाहिए। इससे उस गर्भ का क्या नतीजा होता है, उसकी पहचान करना आसान हो जायेगा।
2. आज के दिन महिलाओं के पास अस्पताल में भर्ती होने का कोई सबूत उपलब्ध नहीं होता है। इसलिए महिला को भर्ती करते ही रजिस्ट्रेशन स्लीप अनिवार्य रूप से दी जाय, रजिस्ट्रेशन स्लीप में ही महिला की जॉच रिपोर्ट भी लिखी जाय।
3. रेफरल की जा रही महिला को रेफरल स्लीप देना अनिवार्य हो जिसमें रेफरल का कारण भी लिखित हो।
4. अस्पताल में दाखिल होने के बाद यदि मरीज को बाहर से कोई भी दवा खरीदने के लिए कहा जाय तो डॉक्टर के द्वारा लिखा हुआ औपचारिक पर्चा / प्रेस्क्रिपशन देना अनिर्वाय किया जाय।

सेवाओं की गुणवत्ता के लिए

1. हर अस्पताल में साफ–सफाई, पानी, शौचालय, तथा बिजली एवं सुरक्षा की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए।
2. त्यौहार अथवा अन्य किसी अवकाश के दिन भी अस्पताल में सेवा कर्मियों का उपस्थित रहना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाय जिसके तहत 24X7 सेवायें सुनिश्चित हो सके।
3. सुरक्षित प्रसव के प्रबन्धन के लिए अस्पताल में तैनात सम्बन्धित सेवा प्रदाताओं का विशेष प्रशिक्षण तत्काल आयोजित किया जाय। प्रशिक्षण में आवश्यक विषय–वस्तु शामिल हो जैसे–
   - आपातकालीन परिस्थितियों की पहचान तथा तत्काल प्रबन्धन,
   - रेफरल का सही तरीका
   - सेवाओं की गुणवत्ता के सरकारी मानक
   - मरीजों के साथ उचित व्यवहार

समस्याओं के समाधान के लिए

1. रोगी कल्याण समितियों को तुरन्त सक्रिय किया जाय। समिति के सदस्यों की सूची हर पी.एच.सी. तथा सी.एच.सी. पर चस्पा की जाय ताकि समस्या होने पर शिकायतों की सुनवाई हो सके।
2. समस्याओं के समाधान के लिए हर जिले में एक हैल्पलाइन नम्बर हो जिसे हर स्वास्थ्य केन्द्र के बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य हो। समस्या की सूचना मिलते ही एक घण्टे के अन्दर समाधान की कारवाई सुनिश्चित की जाय।

हमें पूर्ण विश्वास है कि प्रदेश की महिलाओं के स्वास्थ्य हित में की गयी मांगों पर आप अपने स्तर से शीध्र कारवाई के निर्देश देंगे, ताकि प्रदेश में मातृ स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर हो सके। प्रदेश में मातृ स्वास्थ्य की सुधर रही स्थिति हेतु हम पुनः आपको बधाई देते हैं।

हम सभी उत्तर प्रदेश के 12 ज़िलों की महिला स्वास्थ्य अधिकार मंच की सभी महिलायें और मुद्दे से सरोकार रखने वाले लोग इन मॉगों का समर्थन करते हैं।

जनपदः आज़मगढ़, मिर्ज़ापुर, बॉदा, गोरखपुर, मुजफ़्फ़रनगर, कुशीनगर, चन्दौली, जौनपुर, बरेली, सहारनपुर, चित्रकूट, हरदोई